क्रम-संख्या— 940

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 56

लाइसेन्स नं0 डब्लू पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर, 1993

पौष 9, 1915 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या—1694/सत्रह—वि—1—1(क) 27/1993

लखनऊ : 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(क) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ख) "आश्रित" का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के,—

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहिता पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है ।

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो—

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है,

और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—

(एक) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले ।

(घ) "स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

(एक) जिसने वीर गति प्राप्त की हो ; या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो ; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये निरुद्ध हुआ हो ; या

(चार) जिसने कम से कम दस बेंतों का दण्ड भोगा हो; या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो ; या

(छ) जिसे फरार घोषित किया गया हो ; या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो ; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो ; या

(नौ) जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो ; या

(दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो ।

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो ।

(ङ) "शारीरिक रूप से विकलांग" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

(एक) जो पूर्ण दृष्टि हीनता से ग्रस्त हो या जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के अन्तर से या उससे कम हो या जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता चश्में के साथ ठीक आंख में 6/60 या 20/200 (स्नेलिन) से अधिक न हो ; या

(दो) जिसे जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिये सुनने का बोध न हो या जिसकी ठीक कान में सुनने की क्षमता की क्षति 90 डेसिबल से अधिक हो या जो दोनों कानों से पूर्ण रूप से न सुन सके; या

(तीन) जिसे शारीरिक दोष हो या अंग विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डियों, पेशियों और जोड़ों के सामान्य कार्य करने में बाधा पड़ती हो ;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण

3—(1) राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों का पांच प्रतिशत निम्नलिखित के पक्ष में आरक्षित होगा :—

(एक) शारीरिक रूप से विकलांग,

(दो) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और

(तीन) भूतपूर्व सैनिक ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का अलग-अलग कोटा वह होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा अवधारित करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे संबंधित है। उदाहरण के लिये यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जाएगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी भी समय आरक्षण, यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या में अपनी-अपनी श्रेणियों के लिए अवधारित कोटे से अधिक नहीं होगी ।

(5) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के बिना भरे रहने पर उन्हें भर्ती के अगले वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करना

4—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

5—इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो।

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
एन० के० नारंग,
सचिव ।

No. 1694(2)/XVII-V-1-1(KA)-27-1993

Dated Lucknow, December 30, 1993

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva Shareerik Roop Se Vikalang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhutapurva Sanikon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1993 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 1993.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) ACT, 1993

(U. P. ACT NO. 4 OF 1993)

(As passed by the U.P. Legislature)

AN

ACT

to provide for the reservation of posts in favour of physically handicapped, dependents of freedom-fighters and ex-servicemen and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

Definitions

2. In this Act—

(*a*) "Backward Classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989.

(*b*) "dependent" with reference to a freedom fighter means,—

(i) son and daughter (married or unmarried),

(ii) grandson (son of a son) and unmarried grand daughter (daughter of a son),

of the freedom-fighter.

(*c*) "ex-serviceman" means a person who has served in any rank, as a combatant or non-combatant, in the Indian Army, Navy or Airforce, and—

(i) has retired from such service after earning his pension, or

(ii) has been released from such service on medical grounds, in accordance with the requirements of such service, or because of circumstances beyond his control and has been granted medical or disability pension, or

(iii) has been released, otherwise than on his own request, as a consequence of reduction in the establishment of such service, or

(iv) has been released from such service after a fixed specific period, but has not been released on his own request or has not been dismissed or discharged on account of misconduct or inefficiency and has been granted gratuity;

and includes the following categories of territorial Army personnel who—

(i) get pension for continuous embodied service,

(ii) have become medically unfit owing to military service, and

(iii) are winners of gallantry award.

(*d*) "freedom fighter" means a person domiciled in Uttar Pradesh who had participated in the freedom struggle of India and had—

(i) laid down his life; or

(ii) undergone sentence of imprisonment for a period of at least two months; or

(iii) been detained in prison as an undertrial or a detend for a period of at least three months ; or

(iv) been sentenced with at least ten canes ; or

(v) been declared as an absconder ; or

(vi) sustained bullet injuries ; or

(vii) participated in 'Peshawar Kand' ; or

(viii) been a member of Indian National Army ; or

(ix) been a certified member of India Independence League ; or

(x) been released under the 'Gandhi Irwin Pact'.

Explanation—For the purposes of this clause, a person who had sought and had been pardoned shall not be deemed to be a freedom fighter.

(*e*) "physically handicapped" means a person—

(i) who suffers from total absence of eyesight or from limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degrees or worse or whose visual acuity does not exceed 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lense ; or

(ii) whose sense of hearing is non functional for ordinary purposes of life or who suffers from hearing loss of more than 90 decibels in the better ear (Profound impairment) or total loss of hearing in both ears ; or

(iii) who has a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

(*f*) "year of recruitment" means a period of twelve-months commencing on the first of July.

Reservation of vacancies in favour of physically handicapped etc.

3. (1) In public services and posts in connection with the affairs of the State there shall be reserved five per cent of vacancies at the stage of direct recruitment in favour of—

(i) physically handicapped,

(ii) dependents of freedom fighters, and

(iii) ex-servicemen.

(2) The respective quota of the categories specified in sub-section (1) shall be such as the State Government may from time to time determine by a notified order.

(3) The persons selected against the vacancies reserved under sub-section (1) shall be placed in the appropriate categories to which they belong. For example, if a selected person belongs to Scheduled Castes category he will be placed in that quota by making necessary adjustments; if he belongs to Scheduled Tribes category, he will be placed in that quota by making necessary adjustments ; if he belongs to Backward Classes category, he will be placed in that quota by making necessary adjustments. Similarly if he belongs to open competition category, he will be placed in that category by making necessary adjustments.

(4) For the purposes of sub-section (1) an year of recruitment shall be taken as the unit and not the entire strength of the cadre or service, as the case may be:

Provided that at no point of time the reservation shall, in the entire strength of cadre, or service, as the case may be, exceed the quota determined for respective categories.

(5) The vacancies reserved under sub-section (1) shall not be carried over to the next year of recruitment.

Removal of difficulties

4. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Savings

5. The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has started before the commencement of this Act.

Repeal and Savings

6. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped etc.) Ordinance, 1993 is hereby repealed.

U. Ord. No. 199

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 71 सा० (विधा ०)—(2754)—1993—850(मेक०) ।